

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता राज.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड टोंक

क्रमांक:-वि.बो./2015-16/ 1765

दिनांक 12.10/2015

श्रीमान् प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।

विषय :- लिंक रोड दूनी आवां रोड से चांदली माताजी 5.00 कि.मी. के भूमि प्रत्यावर्तन के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रांशविक पत्र की अनुपालना में निवेदन है कि जिला/वन मंडल टोंक में देवली तहसील के दूनी आवां रोड से चांदली माताजी (लिंक रोड 5 कि.मी.) के निर्माण कार्य में 2.1 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन के क्रम में इस कार्यालय द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वेबपोर्टल OSMFCP पर प्रस्ताव संख्या FP/RJ/Road/14903/2015 पर दिनांक 02.09.2015 को रजिस्टर किया गया था। प्रस्ताव का परिक्षण करने पर श्रीमान् जिला वन अधिकारी टोंक द्वारा पूर्व में प्रत्यावर्तन हेतु दी गई गांव चांदली में 2.10 हैक्टेयर भूमि असहमति प्रकट की। अतः उक्त भूमि के स्थान पर अब दूसरे स्थान पर बिसनपुरा गांव के खसरा नं. 182 में 2.10 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन हेतु जिला प्रशासन द्वारा सहमति दी है। जिसका की दिनांक 07.10.2015 को जिला प्रशासन के अधिकारियों एवं वन विभाग (देवली रेंजर) द्वारा सयुक्त निरीक्षण करवाकर भूमि वन विभाग को सुपुर्द करने हेतु मौका पर्ची भी तैयार करवा दी गई है। जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। अतः कृपया भूमि प्रत्यावर्तन की सक्षम स्वीकृति पुनः प्रेषित है।

भवदीय



(जी.एस. मीना)

अधिशाषी अभियन्ता,
राज. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
खण्ड - टोंक

मौका - पर्चा

आज दिनांक 7-10-2015 को श्रीमान तहसीलदार सा. देवली के दूरभाष पर प्राप्त आदेशानुसार ग्राम बिशनपुरा प. म. राजकोट के आ. ख. नं. 182 में से आ. ख. नं. 183 के चिह्नित हुए वन विभाग के आवेदन पर ग्राम चांदली माताजी से आवां रोड की वन भूमि की क्षतिपूर्ति हेतु सिवाय चतु भूमि का नाप करके हेतु श्रीमान नाथक तहसीलदार सा. देवली श्री भजनलाल मीका, निरीक्षक (भ. भ.) श्री नन्दसिंह शक्तावत पटवारी चांदली श्री रमेश सिंह, पटवारी राजकोट श्रीमती दुर्गा चौधरी व वन विभाग के रेंजर श्री रमेश जी पारीड वन रेंज देवली, सहायक वनपाल श्री उभू दयाल शर्मा वनरक्षक श्री नाथूलाल माहुर वनरक्षक केदार नारायण शर्मा वन विभाग के सर्वेयर श्री नरेन्द्र वर्मा की व अन्य ग्राम मोतविरान की उपस्थिति में उक्त ग्राम बिशनपुरा के आ. ख. नं. 182 की सिवायचतु भूमि 2.10 हे. की नाप जोख कर उपरोक्त वन अधिकारियों की सुपुर्दगी में दी गई उक्त सिवायचतु भूमि श्रीमान जिला कलेक्टर महो. वेंड के आदेशानुसार व तहसील देवली से भेजे गये एस्ताव की पालना में दी गई व मौका पर्चा बनाकर उपरोक्त सभी के हस्ताक्षर लिये गये।

7/10/15
9UR

रिजिस्ट्रार
सा. देवली

आ. वी. प. म.
FRD देवली
रमेश चन्द पाटील

M. K. Singh

8/10/15

ग. देवली

7/10/15
प. राजकोट

उत्तरा
ग. देवली

खेवट (खतौनी) संख्या		भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई का स्रोत	कृषक द्वारा		सम्वत्..... के लिए		सम्वत्..... के लिए		सम्वत्..... के लिए	
नयी	पुरानी							दर सहित ब्योरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्योरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	भूमि के ब्योरे सहित अनुप्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्योरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांक	भूमि के ब्योरे सहित अंतरण की विशिष्टियां जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1	राज सरकार	सिवामय्य कालिदास	182	1233	बजड									
सत्यवति लिमिटेड 14.10.15 1-35 1200 परकरी का/जके/ट															

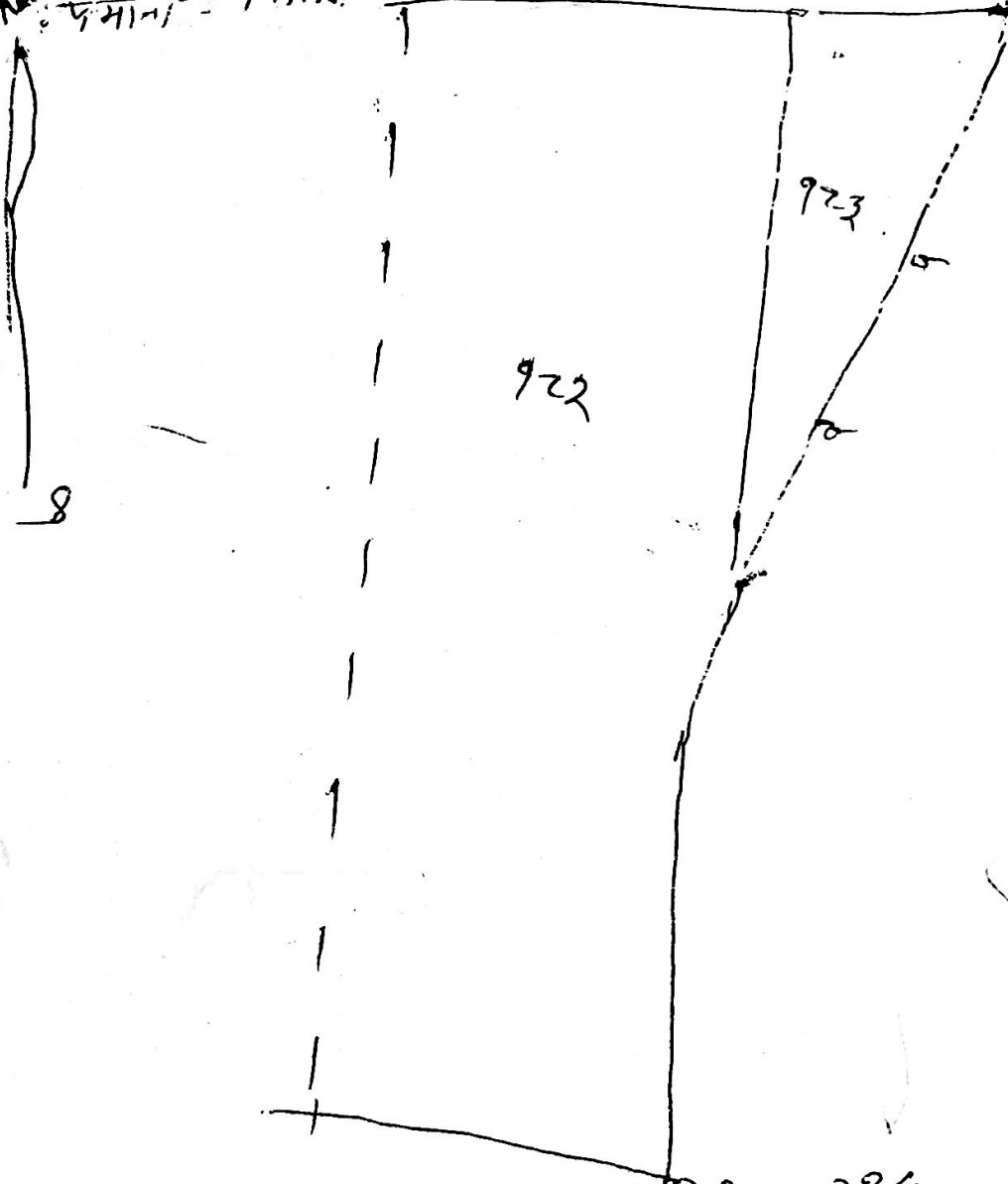
प्रपत्र सं. पी.-26 (देखिए नियम 1)

(देखिए नियम 1)

(खतौनी) ग्रामी अश्वपुरा पटवार क्षेत्र अकोट भ-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र नांदेडी तहसील हवेली जिला ३६ राजस्थान सम्वत् 2070..से 2073.....ट

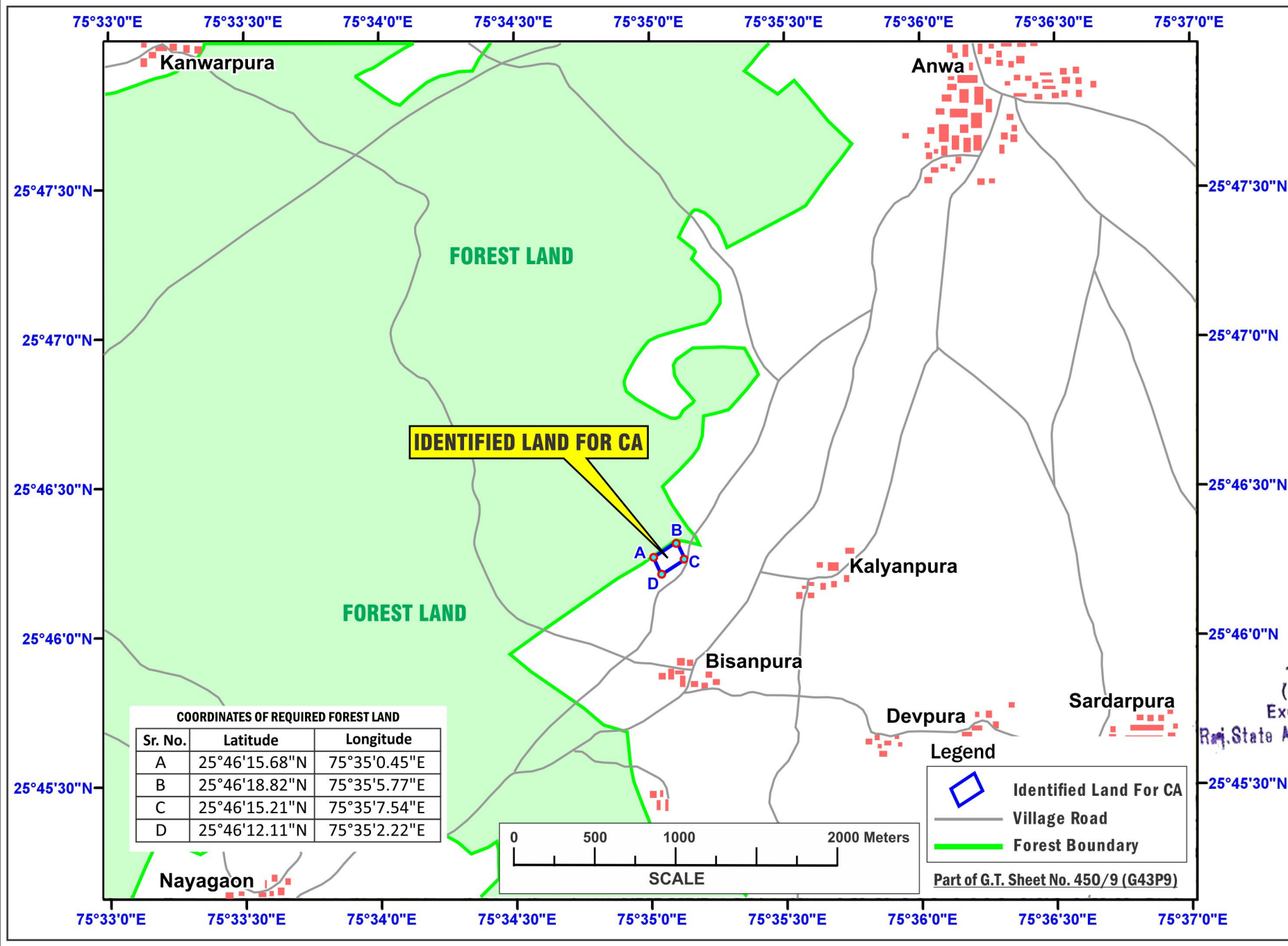
नदी (खतौनी) संख्या		भू-धारकों का नाम	काश्तकार का नाम मय पिता का नाम, जाति, निवास स्थान के पते सहित एवं भू-धृति का स्वरूप	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा (भूमि) वर्गीकरण	सिंचाई का स्रोत	कृषक द्वारा		सम्बत्.....के लिए		सम्बत्.....के लिए		सम्बत्.....के लिए		टिप्पणियाँ
नयी	पुरानी							दर सहित व्यौरा	रकम	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेश की संख्या तथा दिनांक	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	भूमि के व्यौरे सहित अनुप्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांक	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	अंतरण के प्रकार सहित अनु प्रमाणित नामन्तरकरण के आदेशों की संख्या तथा दिनांक	भूमि के व्यौरे सहित अंतरण की विशिष्टियाँ जिसके पक्ष में भूमि अंतरित की गई है।	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
202	203	राज सरकार	वन विभाग	193	198	जंगल										
								सत्यप्रतिलिपि		7-35						
										128						
								14.10.15		राज सरकार						

अवकाश - बिहारपुरा प.प्र. राजकोट तह डिवीजन
 दि.माना - 17.12.15 = 40 की



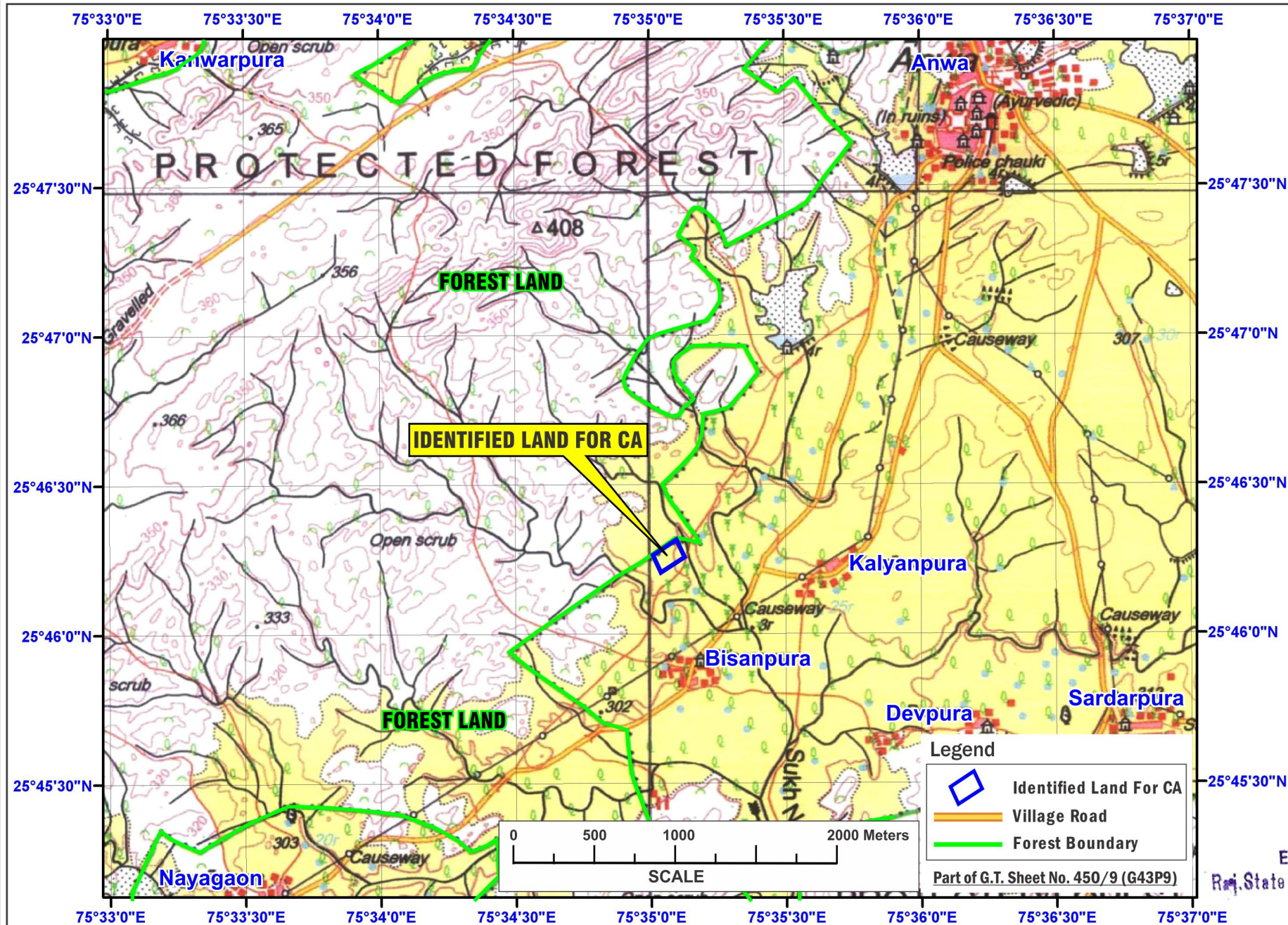
स.प्र. विनिर्दिष्ट P-35
 123
 14.10.15 पटवाही
 के राजकोट

MAP SHOWING DIGITAL MAP WITH IDENTIFIED LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION



(Signature)
 (G. S. MEENA)
 Executive Engineer
 Raj. State Agriculture Marketing Board
 TONK

MAP SHOWING GEO-REFERENCED SURVEY OF INDIA TOPOSHEET WITH IDENTIFIED LAND FOR COMPENSATORY AFFORESTATION



(Signature)
 (G. S. MEENA)
 Executive Engineer
 Raj. State Agriculture Marketing Board
 TONK